

## लीज अवधि प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राज्य पेय जल एवं स्वच्छता मिशन, अभाव खण्ड उ0प्र0 जल निगम, मीरजापुर द्वारा जनपद-मीरजापुर में ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत जनपद-मीरजापुर की सतही श्रोत आधारित दौंती ग्राम समूह पेयजल योजना हेतु प्रस्तावित विभिन्न ग्रामों तक पेयजल पाइप लाइन बिछाये जाने से क्षेत्रफल 0.7694 हे० आरक्षित एवं संरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी, जिसे 30 वर्षों की लीज अवधि के लिये लीज पर लेने की आवश्यकता है।

प्रस्तावित क्षेत्रफल 0.7694 हे० आरक्षित एवं संरक्षित वन भूमि का जिलाधिकारी, मीरजापुर से मूल्य निश्चित कराकर मूल्य के बराबर प्रिमियम (वन भूमि का मूल्य) और प्रिमियम का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेंट वन विभाग के पक्ष में भुगतान किये जाने की बचनबद्धता दी जाती है। इसके लिये राज्य सरकार द्वारा जो मूल्य/प्रिमियम/लीज रेंट का निर्धारण किया जायेगा, उसे अधिशासी अभियंता/नोडल अधिकारी, राज्य पेय जल एवं स्वच्छता मिशन, अभाव खण्ड उ0प्र0 जल निगम, मीरजापुर द्वारा स-समय भुगतान किया जायेगा।

उक्त के अलावा उक्त प्रस्तावित पेयजल योजना हेतु अन्य कोई विकल्प नहीं है।

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभाषीय वन्याधिकारी  
मीरजापुर-वन प्रभाषा  
मीरजापुर

अधिशासी अभियंता  
खण्ड नोडल अधिकारी  
उ०प्र० जल निगम  
मीरजापुर  
अधिशासी अभियंता/नोडल अधिकारी  
राज्य पेय जल एवं स्वच्छता मिशन,  
अभाव खण्ड उ0प्र0 जल निगम, मीरजापुर